



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 260 राँची, सोमवार, 4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
25 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

6 सितम्बर, 2022

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत संचालित “मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” के स्थान पर “ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना “ का कार्यान्वयन तथा एतदसंबंधी संशोधितमार्ग निर्देश की स्वीकृति।

जापांक-05/म०स०/रा०यो०-358/2018-2033--विभागीय संकल्प संख्या-2020, दिनांक-21.08.2019 द्वारा स्वीकृत राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना राज्य में क्रियान्वित है। सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त संकल्प को विलोपित करते हुए राज्य योजनान्तर्गत संचालित “मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” के स्थान पर “ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना “ का कार्यान्वयन तथा इस हेतु निम्न रूपेण नये मार्ग निर्देश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2-1 (i) योजना का नाम:-

राज्य योजनान्तर्गत संचालित “ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना “ का कार्यान्वयन “ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना “ के परिवर्तित नाम से की जायेगी ।

(ii) योजना का उद्देश्य:-

- (क) महिला सशक्तिकरण ।
- (ख) बालिका शिक्षा पर जोर ।
- (ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त ।
- (घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ।
- (ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवंवैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता ।
- (च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।

2.2 योजना का स्वरूप:-

इस योजना के तहत कंडिका 2.3 में वर्णित पात्रता के बालिकाओं को निम्नवत् आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी:-

क्र०	लाभक वर्ग	आर्थिक लाभ की राशि
1.	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	₹0 2,500/-
2.	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	₹0 2,500/-
3.	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	₹0 5,000/-
4.	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	₹0 5,000/-
5.	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	₹0 5,000/-
6.	18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	₹0 20,000/-

2.3 योजनान्तर्गत लाभ हेतु लाभार्थी की पात्रता:-

योजनान्तर्गत लाभ हेतु लाभार्थी द्वारा आवेदन किया जायेगा एवं लाभार्थी को आवेदन करने की तिथि तक निम्न पात्रता आवश्यक होगी:-

- i. (a) यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी ।
- (b) लाभार्थी की माता द्वारा इस आशय का स्व-घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

ii. इस योजना के तहत सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/National Child Labour Project (NCLP) के अन्तर्गत संचालित/झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों में कक्षा- 8 से कक्षा- 12 में अध्ययनरत सभी अर्हताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाएगा ।

iii. योजना के लाभार्थी वे बालिकाएँ होंगी जिनके:-

(a) माता/पिता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्त नहीं होंगे एवं इन नियोजनकर्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे ।

(b) माता/ पिता आयकर दाता नहीं होंगे ।

(c) आवेदिका की माता द्वारा इस आशय का स्व-घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

iv. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

v. बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

vi. बालिका का बैंक में/पोस्ट ऑफिस में खाता उपलब्ध हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

vii. (a) आवेदन के क्रम में आवश्यकतानुरूप बालिका की माता के संबंधित अभिलेख/कागजात मान्य होंगे। बालिका की माता के मृत्यु की स्थिति में ही उसके पिता के संबंधित अभिलेख मान्य होंगे, किन्तु माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(b) बालिका के माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता-पिता/अभिभावक के संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत किया गया अनाथ बालिकाओं के लिए प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

viii. विभिन्न बाल गृहों/आश्रय स्थल अथवा अन्य में निवासित अनाथ/बेसहारा बालिकाओं के मामले में उनके निवास स्थल के संचालक उनके अभिभावक के रूप में मान्य होंगे। आवेदन के क्रम में लाभार्थी बालिका के अभिभावक के रूप में इन संचालक के संबंधित अभिलेख/कागजात मान्य होंगे ।

ix. लाभार्थी बालिका के कंडिका- 2.2 में निर्दिष्ट कक्षा में नामांकन होने पर ही एवं इसका संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभूक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।

- x. लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में कंडिका- 2.3 (i)2.3 (ii)2.3 (iii) में उल्लेखित शर्तों में छूट दी जायेगी ।
- xi. (a) कंडिका-2.3 में उल्लिखित अंतिम किस्त के लिए आवेदन के समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच की होनी चाहिए ।
- (b) 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 01 जनवरी अथवा उसके पश्चात् पुरीक्षित झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी द्वारा आवेदन के समय स्वयं का मतदाता पहचान पत्र Electors Photo Identification Card (EPIC) अपने आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (c) लाभार्थी द्वारा अपने 19 वर्ष की आयुपूर्ण होने के पूर्व ही इस योजना के तहत आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

2.4 योजनान्तर्गत लाभ हेतु आवेदन प्रक्रिया:-

- लाभार्थी अपने क्षेत्र अन्तर्गत सीधे अथवा आँगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया Manually की जायेगी तथा कालान्तर में पूरी प्रक्रिया Online सम्पन्न कराई जायेगी ।

2.5 योजनाकार्यान्वयन प्रक्रिया:-

- बाल विकास परियोजना कार्यालय में योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। लाभार्थियों के योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरान्त स्वीकृति प्रदान किये जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।

2.6 योजना कार्यान्वयन पर व्यय भार:-

- योजना कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष-2022-23 में व्ययभार निम्नवत् अनुमानित है-

क्र०	लाभुक वर्ग	आर्थिक लाभ की राशि (रु० में)	अनुमानित लाभार्थियों की संख्या	अनुमानित राशि (रु० में)
(i)	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	2500/-	257729	64,43,22,500.00
(ii)	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	2500/-	173976	43,49,40,000.00
(iii)	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	5000/-	160092	80,04,60,000.00
(iv)	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	5000/-	102513	51,25,65,000.00
(v)	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	5000/-	96350	48,17,50,000.00
(vi)	18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	20000/-	96000	1,92,00,00,000.00
	कुल	40000/-	886660	4,79,40,37,500.00

ii. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 11479.00 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उन्नासी लाख मात्र) का बजट उपबंध प्राप्त है एवं योजना कार्यान्वयन पर उपर्युक्त व्यय की संभावना के दृष्टिगत आगामी अनुपूरक के माध्यम से शेष बजटीय उपबंध प्राप्त करने की कार्यवाई की जायेगी। योजना का कार्यान्वयन इस राशि से कराया जायेगा।

iii. योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु योजना लगत का 2.00 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जायेगा।

2.7 अन्यान्य:-

- यह मार्गनिदेश एतद्विषय संबंधी संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
 - इस मार्ग-निदेश के निर्गत होने की तिथि से एतद् विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2020, दिनांक-21.08.2019 विलोपित समझा जायेगा।
- इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक-24.08.2022 की बैठक के मद संख्या-36 में स्वीकृति प्रदान की गई है।
 - एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/आदेश विलोपित समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव
